रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2013/वैशाख 24, 1935
No. 231] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2013/VAISAKHA 24, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा–1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2013

सा.का.नि. 305(अ).—दिल्ली विकास विविध नियमावली, 1959 के नियम 3 के उप नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा प्रधान आयुक्त (मोनिटरिगं एवं समन्वय) के एक पद के संबंध में भर्ती की पद्वति से संबंधित विनियम बनाता है जिसका वेतन बैंड–4 एवं ग्रेड वेतन 10,000 रूपये होगा ।

इस पद से संबंधित भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, अर्हता और अन्य बाते भर्ती विनियम के कांलम 3 से 13 तक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगी ।

2. लघु शीर्षक एवं आरम्भ

(i) नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए इन विनियमों को प्रधान आयुक्त (मोनिटरिगं एवं समन्वय) दिल्ली विकास प्राधिकरण 2013 नए सृजित पद के भर्ती विनियम कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन्हें प्रदान किए गए अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

3. बचाव

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गो के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

4. निरर्हता

कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबन्ध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो ।

5. शिथिल करने की शक्ति

जब प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है ।

[सं.एफ. 7(228)/2011/का.शा.–1]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

अनुबंध 'द' (आर)

प्रधान आयुक्त (मॉनीटरिंग एवं समन्वय) के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं0	मानक प्रारूप/ कॉल भ.वि.	प्रधान आयुक्त (मॉनीटरिंग एंव समन्वय) के लिए भर्ती विनियमों में प्रस्तावित प्रावधान	टिप्पणियाँ
1.	पद का नाम	प्रधान आयुक्त (मॉनीटरिंग एवं समन्वय)	भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारी (स्टाफिंग) योजना के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए प्रधान आयुक्त के अन्य पदों से इसे प्रभेद करना।
2.	पद की संख्या	01	भारत सरकार ने एक पद संस्वीकृत किया है और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश एफ सं0–के/11011/29/2011 डीडीआईए दिनांक 29 अगस्त, 2012 के द्वारा प्रेषित किया है।
3.	वर्गीकरण	समूह 'क'	
4.	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	पी.बी.–4 अर्थात् 37,400–67,000 रू0 एवं ग्रेड वेतन 10,000 रू0	
5.	क्या चयन पद है या अचयन पद	चयन	
6.	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत, जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है।	लागू नहीं	
7.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं	
8.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं	
9.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	
10.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	लागू नहीं	
11.	भर्ती की पद्धति – सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसरण में प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर 100% स्थानान्तरण द्वारा।	
12.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में उस ग्रेड का नाम, जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	<u>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण</u> भारत सरकार में संयुक्त सचिव के वेतनमान एवं ग्रेड अर्थात् पी.बी.–4 37,400–67,000 रू0 एवं 10,000 रू0 के ग्रेड वेतन में अथवा पी.बी.–4 में रू0 8,700 के ग्रेड वेतन में ग्रेड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा रखने वाले अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार/दिल्ली सरकार/सार्वजनिक सेवा के उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/सशस्त्र बलों में सेवारत हों। और	

		(i) शहरी विकास/भूमि प्रबंधन/नगर योजना/भूमि राजस्व/परियोजना मॉनीटरिंग एवं समन्वय के क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव रखते हैं। (ii) प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, किन्तु इस अवधि को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा, समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।	
13.	प्रधान आयुक्त की नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी	1. उपाध्यक्ष – अध्यक्ष 2. अभियंता सदस्य –सदस्य 3. वित्त सदस्य – सदस्य 4. आयुक्त (कार्मिक) –सदस्य सचिव 5. अ.जा./अ.ज.जा. के प्रतिनिधि – उपाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।	
14.	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्रीय सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	
15.	निरर्हता	कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो।	
16.	शिथिल करने की शक्ति	जब प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है।	

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(PERSONNEL BRANCH-1)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2013

G.S.R. 305(E).—In exercise of the powers conferred under Section-57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), read with Sub-Rule-(4) of Rule-3 of the Delhi Development (Miscellaneous) Rules, 1959, the Delhi Development Authority hereby makes, with the previous approval of the Central Government, the Regulations relating to the methods of recruitment in respect of one post of Principal Commissioner (Monitoring & Coordination) in PB-4 + GP Rs.10,000.

The method of Recruitment, age limit, qualification and other matter relating to the post shall be as specified in columns no. 3 to 13 of Recruitment Regulations.

2. Short title and commencement :

(i) These Regulations as given in the schedule placed below may be called the "Recruitment Regulations of Principal Commissioner (Monitoring & Coordination) Delhi Development Authority, 2013 (newly created post)".

(ii) These Regulations shall come into force with effect from the date of its approval by the Delhi Development Authority

3. Savings

Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.

4. Disqualification

No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.

5. Power to relax

When the Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or posts.

[No. F. 7(228)/2011/PB-1]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

Annexure 'R'

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF PRINCIPAL COMMISSIONER (MONITORING AND CO-ORDINATION)

Sl. No.	Standard format/col. RR	Proposed provision in the RRs for Principal Commissioner (Monitoring and Co-ordination)	Remarks
1.	Name of the Post	Principal Commissioner (Monitoring and Co-ordination)	To distinguish it from other posts of Pr. Commissioners who are appointed on deputation by Government of India through Central Staffing Scheme
2.	Number of Post	01	The Govt. of India has sanctioned one post and communicated vide order F.No. K-11011/29/2011/DDIA dated 29th Aug. 2012 from Ministry of Urban Development, Govt. of India.
3.	Classification	Group-'A'	
4.	Pay Band & Grade Pay	PB-4 i.e. Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay of Rs. 10,000	
5.	Whether Selection Post or Non- Selection Post	Selection	
6.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Not applicable	
7.	Age Limit for direct recruits	Not applicable	
8.	Educational and other Qualifications required for direct recruits.	Not applicable	
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees & deputationists.	Not applicable	
10.	Period of probation, if any	Not applicable	
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	100% by transfer on deputation/absorption, in accordance with the rules prescribed by Department of Personnel & Training, Government of India.	
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grade from which promotion/deputation/ absorption is to be made.	**Transfer on Deputation** (i) Officers in the scale and grade of Joint Secretary in the Government of India in the PB-4 i.e. Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay of Rs. 10,000/-	

		or with Grade Pay of Rs. 8700 in PB-4 with minimum 3 years service in the Grade, working in the Central Government /Delhi Govt. / Public Sector Undertaking/ Development Authorities/Armed forces And 20 Years experience in the field of Urban Development/Land Management / Town Planning/Land Revenue/ Project Monitoring & Coordination. (ii) Deputation will not normally exceed three years but can be extended in accordance with the guidelines/instructions issued by Deptt. of Personnel & Training, Govt. of India from time to time.	
13.	Screening Committee for appointment of Principal Commissioner	1. Vice Chairman- Chairman 2. Engineer Member- Member 3. Finance Member- Member 4. Commissioner (Personnel) – Member Secretary. 5. Representative of SC/ST - To be nominated by VC	
14.	Saving	Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt./Delhi Development Authority from time to time in this regard.	
15.	Disqualification	No person who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive.	
16.	Power to relax	When the Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons or posts.	

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.